BEORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
ORIGINAL APPLICATION NO. 529 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Deepak …APPLICANT

VERSUS

Public Works Department &Ors. …RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE
1.	**ANNEXURE A-1** Report dated 09.11.2022 on behalf of Public Works Department (Horticulture) pursuant to the order dated 18.10.2022 passed by this Hon'bleTribunal.	**1-2**
2.	**ANNEXURE A-2** Copy of permission to cut Pilkhan tree date 04.12.2018 granted by the Department of Forest & Wildlife, GNCTD.	**3**
3.	**ANNEXURE A-3** Copy of letter dated 04.11.2022 issued by Public Works Department (Horticulture) to 2022 issued by Public Works Department (Civil).	**4**
4.	**ANNEXURE A-4** Copy of letter dated 04.11.2022 issued by Public Works Department (Horticulture) to the Divisional Engineer, Telephone Exchange.	**5**
5.	**ANNEXURE A-5** Copy of letter dated 04.11.2022 issued by Public Works Department (Horticulture) to the Manager, Indraprastha Gas Limited.	**6**

NEW DELHI
DATE: 09.11.2022

RESPONDENTS

THROUGH

JYOTI MENDIRATTA
Standing Counsel for GNCT of Delhi
H-34, Lower Ground Floor,
Jangpura Extension
New Delhi-110014.
jmalawoffices@gmail.com

विषय: Notice in Original Application No. 529/2022 Deepak Vs Public Works Department & Ors.

Original Application No. 529/2022

Deepak .... Applicant

Versus

Public Works Department & Ors. .... Respondent

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में लेख है कि ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट, श्री अरूण कुमार त्यागी के कार्यालय से प्राप्त नोटिस/आदेश दिनांक 25.07.2022 (छायाप्रति संलग्न Annexure-A, P- 1-5) इस कार्यालय में प्राप्त हुआ जिसके लिए इस कार्यालय द्वारा पैरावाईज उत्तर निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है:–

1. शिकायतकर्ता श्री दीपक द्वारा वर्ष 2018 में दायर शिकायत के आधार पर मकान संख्या ए–159, गुरू विरजानन्द मार्ग, विकास पुरी, नई दिल्ली के सामने एक सूखे पिलखन पेड़ संख्या 29 को काटने हेतु वन विभाग द्वारा अनुमति इस शर्त के साथ जारी की गयी कि पेड़ संख्या 29 को काटने के उपलक्ष में 10 पेड़ का Compassionatary Plantation कराया जाए। इस कार्यालय द्वारा उपरोक्त पेड़ को काटने पर Compassionatary Plantation करा दिया गया था।

2. शिकायतकर्ता श्री दीपक द्वारा वर्ष 2022 में PGMS Grievance No. 2022009977 Portal पर दर्ज करायी गई जिसके लिए निदेशक (उद्यान), लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली के द्वारा विवादित स्थल पर पेड़ लगाने की संभावना हेतु एक विभागीय अन्तरिम कमेटी का गठन किया गया जिसके सदस्य निम्न प्रकार है:–
   i. श्री सतबीर सिंह, उपनिदेशक (उद्यान), उद्यान मण्डल (दक्षिण)
   ii. श्री के.पी. सिंह, सहायक निदेशक (उद्यान)
   iii. श्री अनिल कुमार, सहायक निदेशक (उद्यान)

3. उपरोक्त कमेटी द्वारा दिनांक 30.06.2022 को शिकायतकर्ता श्री दीपक की उपस्थिति में साईट का निरीक्षण किया गया तथा दिनांक 04.07.2022 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके द्वारा सूचित किया गया कि उक्त स्थान पर खुदाई करना जोखिम भरा हो सकता है तथा ऐसी परिस्थिति में पेड़ लगाना उचित नहीं है क्योंकि फुटपाथ के किनारे एवं सड़क के मध्य पी.एन.जी. गैस पाईप लाईन का चिन्ह लगा हुआ है तथा वहाँ पर सीमेन्ट Concrete किया हुआ है। (छायाप्रति संलग्न Annexure-B, P-1–2)

4. Hon'ble Principal Banch, National Green Terbunal द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.07.2022 के अनुपालन में उपरोक्त साईट का निरीक्षण कर पेड़ लगाने की संभावना हेतु दिनांक 20.09.2022 को कमेटी का गठन किया गया जोकि निम्न प्रकार है:–
   i. Principal Chief Conservator of Forest and Wildlife, Delhi
   ii. Director (Horticulture), PWD, Delhi
   iii. Deputy Commissioner (West), MCD, Delhi

   उपरोक्त कमेटी द्वारा दिनांक 30.09.2022 को अद्योहस्ताक्षरी की तरफ से एक अनुभवी उपनिदेशक (उद्यान), लोक निर्माण विभाग, Deputy Commissioner (West), MCD, Delhi की तरफ से एक उपनिदेशक (उद्यान) व वन विभाग की तरफ से वन संरक्षक द्वारा दिनांक 30.09.2022 को विवादित स्थल का निरीक्षण किया गया व दिनांक 15.10.2022 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें पाया गया कि मकान नं0 ए–159 के सामने सड़क व फुटपाथ के नीचे के स्थान को Concrete किया हुआ है इस Concrete के नीचे IGL की गैस पाईप लाईन डली हुई है साथ ही एक MTNL का मेन हॉल व एक गटर का मेन हॉल भी है इस जगह पर खुदाई करके पेड़ लगाना खतरनाक हो सकता है क्योंकि नीचे से गैस पाईप लाईन जा रही है। (छायाप्रति संलग्न Annexure-C, P-)

5. उपरोक्त मामले की दिनांक 18.10.2022 को माननीय NGT में सुनवाई हुई तथा आदेश पारित किया गया (छायाप्रति संलग्न Annexure-D, P-1-5) जिसमें कि पैरा संख्या 6 में दर्ज आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है:–

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा विभिन्न आवश्यक कार्यों में व्यवस्था के कारण श्री गोपाल सिंह मीणा, उपनिदेशक (उद्यान), माननीय न्यायालय में उपस्थित हुए तथा आपको यह पूर्ण विश्वास दिलाया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आपके आदेश की अनदेखी करने की ऐसी कोई भी मंसा नहीं थी तथा इसके लिए खेद व्यक्त किया जाता है व अगली सुनवाई की तिथि 11.11.2022 को अवश्य उपस्थित रहुँगा। यह भी सूचित किया जाता है कि सड़क व फुटपाथ का निर्माण कार्य सिविल विंग, लोक निर्माण विभाग के कार्य क्षेत्र में है तथा इस कार्यालय द्वारा केवल दिल्ली सरकार के अधीन सड़को पर पौधारोपण व अनुरक्षण का कार्य कराया जाता है। जहाँ तक उपरोक्त रोड़ व स्थल से संबंधित ड्राईंग जैसे कि दिल्ली जलबोर्ड पाईप लाईन, BSNL, IGL Gas Pipe Line इत्यादि प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय द्वारा संबंधित एजेन्सीयों को पत्र जारी कर दिया गया (छायाप्रति संलग्न Annexure-E, P- 1-3) तथा जैसे ही उपरोक्त दस्तावेज इस कार्यालय में प्राप्त होंगे तुरन्त प्रस्तुत कर दिये जाएंगे। अन्त में आपको विश्वास दिलाया जाता है कि इस कार्यालय की तरफ से उपरोक्त मामले के समाधान हेतु पूर्ण रूप से जो भी संभव हो सहयोग किया जाएगा तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी।

उपनिदेशक (उद्यान)
उद्यान मण्डल (उत्तर)
लो.नि.वि., दि.स., नई दिल्ली।

फाईल संख्याः NGT/Court Case/DDH(N)/PWD/214 दिनांकः 9-11-2022

Approved as proposal.

निदेशक (उद्यान)
लो.नि.वि., दि.स.
नई दिल्ली।

Permission

FORM "E (See rule 8)
TREE OFFICER AND DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS
DEPARTMENT OF FOREST & WILDLIFE, GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
WEST FOREST DIVISION, MANDIR LANE, NEW DELHI-60

Dated: 4/12/2019

3413-16 Permission under DPTA, 1994

Subject: - Permission to remove Dangerous tree. ... Dy

Director (Hort.) PWD North Division New Delhi-110088 ... tree no-118

... PWD Road In front of A-159, Guru Vidya Nand Marg, Vikas puri New Delhi

Details of Trees

S.No	Species of trees	No. of trees
1	Pilkhan - 01 (Dangerous Tree)	

DY. CONSERVATOR OF FORESTS
TREE OFFICER (WEST)

To,

Dy. Director (Hort)
PWD North Division
Near DJB Water Plant, Haiderpur,
Outer Ring Road New Delhi-110088

Terms & Condition

1. The Range Forest Officer shall mark the trees before ...
2. ...
3. Felling of trees shall be completed within ... days.
4. ... produced from felled trees shall not be removed ... Officer.
5. The user agency will auction the wood derived from felling of 01 Nos. of trees and the proceeds may be deposited as Govt. Revenue. Lops and Tops may be sent to nearest Public Cremation Ground Free of Cost and receipt may sent to this office.
6. Progress report of felling & transplantation shall be submitted to the office ... Range Officer concerned along with complete details of Sr. No. of tree ...
7. A compensatory plantation of 10 trees has to be carried out by the land owner after removal of tree.

Copy to:

1. The Dy. Range Forest Officer ... Bagh Range for information ...
2. Incharge Tree Protection Cell West Division for information ...

Copy also to:-

1. The Conservator of Forests, Vikas Bhawan, A Block ...

DY. CONSERVATOR OF FORESTS
TREE OFFICER (WEST)

https://mail.google.com/mail/u/1/?tab=wm#inbox/FMfcgxvzKtXpbLarKzfKrDqBmkmsdFMM?projector=1&messagePartId=0.2

Scanned with CamScanner

निदेशक (उद्यान)
लोक निर्माण विभाग
13 वां तल, एम0 एस0 ओ0 भवन,नई दिल्ली–110002
DIRECTOR OF HORTICULTURE
Public Works Department, GNCT of Delhi
13th Floor, M.S.O. Building, New Delhi - 110002
Ph. 011-23490469, Fax.: 011-23724218
e-mail : dohpwddelhi@gmail.com

Most Urgent
Court Matter

सं0. 4(1)/96/नि0उ0/लो0नि0वि0/दि0स0/2022/1367 हि0 दिनांक: 4.11.2022

Annexure A-3

सेवा में

श्री एस.एस. चौहान
कार्यपालक अभियन्ता (सिविल)
सिविल पश्चिम रोड़–1
आर.आर. लाईन, धौला कुआं
नई दिल्ली।

विषयः Notice in Original Application No. 529/2022 Deepak Vs Public Works Department & Ors.

Original Application No. 529/2022

Deepak …….. Applicant

Versus

Public Works Department & Ors. ………. Respondent

उपरोक्त कोर्ट मामला जोकि माननीय राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है के संबंध में इस कार्यालय में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2022 को पारित आदेश की प्रति प्राप्त हुई (छायाप्रति संलग्न) जिसके द्वाराए–159, गुरू विरजानन्द मार्ग, विकास पुरी, नई दिल्ली के सामने विवादित स्थल जोकि आपके मण्डल कार्यालय के अधीन है, पेड़ लगाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे तथा एक ज्वाइंट कमेटी के गठन हेतु जिसमें Principal Chief Conservator of Forest and Wildlife, Director, PWD, Horticulture and DC West को नामांकित किया गया। इस कमेटी द्वारा दिनांक 30.09.2022 को उपरोक्त विवादित स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मकान नं0 159 के सामने सड़क व फुटपाथ के नीचे के स्थान को Concrete किया गया है तथा Concrete के नीचे IGL की गैस पाइप लाईन, MTNL व एक गटर का मैन हॉल भी पाया गया है।

इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2022 को पारित आदेश के अन्तर्गत पैरा संख्या 3 में उपरोक्त गठित कमेटी को निर्देश जारी किया गया है "For this purpose, the Joint Committee shall obtain and look into all the available drawings of all the utilities like DJB water Pipe Line, BSES Electric Cable, Airtel, BSNL, MTNL, Jio Fiber Cables particularly IGL Gas pipe line installed/Fixed and the road and its berms/side spaces."

क्योंकि यह रोड़ आपके मण्डल कार्यालय के कार्यक्षेत्र में है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुसार वर्णित स्थल से संबंधित ड्राईंग की छायाप्रति व संबंधित दस्तावेज इस कार्यालय में अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त पेड़ लगाने हेतु Feasibility के संबंध में सूचित करने का कष्ट करें।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस केस की सुनवाई की अगली तारीख 11.11.2022 है।

अतः मामले की गम्भीरता को देखते हुए वांछित दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का पुनः अनुरोध है।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

यह पत्र निदेशक (उद्यान), लो.नि.वि. की अनुमति से जारी किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्त।

सहायक निदेशक (उद्यान) (यो0)
लो0नि0वि0, दिल्ली सरकार
नई दिल्ली–110002।

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण अभियन्ता (रोड़) पश्चिम, पंजाबी बाग, लो.नि.वि., दि.स., नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
2. उपनिदेशक (उद्यान), उद्यान मण्डल (नार्थ), लो.नि.वि., दि.स., नई दिल्ली।

सहायक निदेशक (उद्यान) यो0

निदेशक (उद्यान)
लोक निर्माण विभाग
13 वां तल, एम0 एस0 ओ0 भवन,नई दिल्ली–110002
DIRECTOR OF HORTICULTURE
Public Works Department, GNCT of Delhi
13th Floor, M.S.O. Building, New Delhi – 110002
Ph. 011-23490469, Fax.: 011-23724218
e-mail : dohpwddelhi@gmail.com

Most Urgent
Court Matter

Speed Post

सं0. 4(1) / 96 / नि0उ0 / लो0नि0वि0 / दि0स0 / 2022 / /1366 ft   दिनांक: 4.11.2022

Annexure A-4

सेवा में

The Divisional Engineer (Telephone)
Telephone Exchange
Rohini, Sector-3
Delhi-110085

विषयः Notice in Original Application No. 529/2022 Deepak Vs Public Works Department & Ors.

Original Application No. 529/2022

Deepak .... Applicant

Versus

Public Works Department & Ors. .... Respondent

उपरोक्त कोर्ट मामला जोकि माननीय राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है के संबंध में इस कार्यालय में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2022 को पारित आदेश की प्रति प्राप्त हुई (छायाप्रति संलग्न) जिसके द्वाराए–159, गुरू विरजानन्द मार्ग, विकास पुरी, नई दिल्ली के सामने विवादित स्थल जोकि आपके मण्डल कार्यालय के अधीन है, पेड़ लगाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे तथा एक ज्वाइंट कमेटी के गठन हेतु जिसमें Principal Chief Conservator of Forest and Wildlife, Director, PWD, Horticulture and DC West को नामांकित किया गया। इस कमेटी द्वारा दिनांक 30.09.2022 को उपरोक्त विवादित स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मकान नं0 159 के सामने सडक व फुटपाथ के नीचे के स्थान को Concrete किया गया है तथा Concrete के नीचे IGL की गैस पाइप लाईन, MTNL व एक गटर का मैन हॉल भी पाया गया है।

इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2022 को पारित आदेश के अन्तर्गत पैरा संख्या 3 में उपरोक्त गठित कमेटी को निर्देश जारी किया गया है "For this purpose, the Joint Committee shall obtain and look into all the available drawings of all the utilities like DJB water Pipe Line, BSES Electric Cable, Airtel, BSNL, MTNL, Jio Fiber Cables particularly IGL Gas pipe line installed/Fixed and the road and its berms/side spaces."

क्योंकि यह रोड़ आपके मण्डल कार्यालय के कार्यक्षेत्र में है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुसार वर्णित स्थल से संबंधित ड्राईग की छायाप्रति व संबंधित दस्तावेज इस कार्यालय में अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त पेड़ लगाने हेतु Feasibility के संबंध में सूचित करने का कष्ट करें।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस केस की सुनवाई की अगली तारीख 11.11.2022 है।

अतः मामले की गम्भीरता को देखते हुए वांछित दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का पुनः अनुरोध है।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

यह पत्र निदेशक (उद्यान), लो.नि.वि. की अनुमति से जारी किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्त।

सहायक निदेशक (उद्यान) (यो0)
लो0नि0वि0, दिल्ली सरकार
नई दिल्ली–110002।

प्रतिलिपिः–

1. उपनिदेशक (उद्यान), उद्यान मण्डल (नार्थ), लो.नि.वि., दि.स., नई दिल्ली

सहायक निदेशक (उद्यान) यो0

निदेशक (उद्यान)
लोक निर्माण विभाग
13 वां तल, एम0 एस0 ओ0 भवन,नई दिल्ली–110002
DIRECTOR OF HORTICULTURE
Public Works Department, GNCT of Delhi
13th Floor, M.S.O. Building, New Delhi – 110002
Ph. 011-23490469, Fax.: 011-23724218
e-mail : dohpwddelhi@gmail.com

Most Urgent
Court Matter

सं0. 4(1)/96/नि0उ0/लो0नि0वि0/दि0स0/2022//1365-H   दिनांक: 4.11.2022

Annexure A-5

सेवा में

Manager
Indraprastha Gas Limited
A-8, Block-A, Regional Office,
Industrial Area, Mayapuri
New Delhi-110064

विषय: Notice in Original Application No. 529/2022 Deepak Vs Public Works Department & Ors.

Original Application No. 529/2022

Deepak .... Applicant

Versus

Public Works Department & Ors. .... Respondent

उपरोक्त कोर्ट मामला जोकि माननीय राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है के संबंध में इस कार्यालय में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2022 को पारित आदेश की प्रति प्राप्त हुई (छायाप्रति संलग्न) जिसके द्वाराए–159, गुरू विरजानन्द मार्ग, विकास पुरी, नई दिल्ली के सामने विवादित स्थल जोकि आपके मण्डल कार्यालय के अधीन है, पेड़ लगाने हेतु निर्देश जारी किये गये थे तथा एक ज्वाइंट कमेटी के गठन हेतु जिसमें Principal Chief Conservator of Forest and Wildlife, Director, PWD, Horticulture and DC West को नामांकित किया गया। इस कमेटी द्वारा दिनांक 30.09.2022 को उपरोक्त विवादित स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि मकान नं0 159 के सामने सड़क व फुटपाथ के नीचे के स्थान को Concrete किया गया है तथा Concrete के नीचे IGL की गैस पाइप लाईन, MTNL व एक गटर का मैन हॉल भी पाया गया है।

इस संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.07.2022 को पारित आदेश के अन्तर्गत पैरा संख्या 3 में उपरोक्त गठित कमेटी को निर्देश जारी किया गया है "For this purpose, the Joint Committee shall obtain and look into all the available drawings of all the utilities like DJB water Pipe Line, BSES Electric Cable, Airtel, BSNL, MTNL, Jio Fiber Cables particularly IGL Gas pipe line installed/Fixed and the road and its berms/side spaces."

क्योंकि यह रोड़ आपके मण्डल कार्यालय के कार्यक्षेत्र में है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा निर्देश के अनुसार वर्णित स्थल से संबंधित ड्राईंग की छायाप्रति व संबंधित दस्तावेज इस कार्यालय में अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त पेड़ लगाने हेतु Feasibility के संबंध में सूचित करने का कष्ट करें।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस केस की सुनवाई की अगली तारीख 11.11.2022 है।

अतः मामले की गम्भीरता को देखते हुए वांछित दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध करवाने का पुनः अनुरोध है।

कृपया इसे प्राथमिकता दें।

यह पत्र निदेशक (उद्यान), लो.नि.वि. की अनुमति से जारी किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्त।

सहायक निदेशक (उद्यान) (यो0)
लो0नि0वि0, दिल्ली सरकार
नई दिल्ली–110002।

प्रतिलिपिः–
1. उपनिदेशक (उद्यान), उद्यान मण्डल (नार्थ), लो.नि.वि., दि.स., नई दिल्ली।

सहायक निदेशक (उद्यान) यो0